07/6/17 फरियादी आज दायक लोक अदालत न्यायालय आपके द्वार-2017 के मध्य हल्के पर उपस्थित हुई। वादी एवं वादी के अधिवक्ता अनुपस्थित है। प्रतिवादी के अधिवक्ता उपस्थित है प्रतिवादी का जवाबदावा का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी के अधिवक्ता को सुना गया। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने जवाब व बहस मे बताया कि वादी एवं प्रतिवादी वाद्य मे अंकित आराजियत के सह-लोतेदार आदमी है। सहलोतेदार कृषक मे विरूद्ध खाती निषेधाज्ञा का आदेश जारी नही किया जा सकता है। अतः प्रतिवादी अधिवक्ता जवाब एवं बहस मे बताया कि उन्होंने भी अनुमान वादी का पाड चलाने योग्य नही है। अतः प्रतिवादी का जवाबदावा स्वीकार किया जाता है। वादी का वाद्य खारीज किया जाता है। फरियादी के मध्य सुलह होकर नम्बर मे कमी आई।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा